जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

पत्रोत्तर पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी भवन पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये जिससे सुविधा हो।

तार : युनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442852 (विभाग)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jurcg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ.सम्बद्धता/2012/ 5778

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (62) के निर्णयानुसार **कैलादेवी महाविद्यालय, अहरोली काली, तहसील – अटेर, जिला – भिण्ड** को सत्र 2012-13 के लिये **बी.ए. द्वितीय वर्ष, (आ.या., विशिष्ट हिन्दी, विशिष्ट, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र), बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष, (आ.या. भौतिक, रसायन, गणित, जंतुविज्ञान, वनस्पति, कम्प्यूटर साईंस) पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य, शिक्षकों, लाइब्रेरीयन, स्पोर्ट ऑफीसर की नियुक्ति परिनियम 28(17) के अन्तर्गत तत्काल करें।
2. ग्रन्थालय में रू. 15,000/- की पुस्तकें क्रय करें.
3. खेल का मैदान विकसित करें।
4. शिक्षकों को वेतन बैंक / चैक के माध्यम से करें।
5. परिनियम 27, 28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **कैलादेवी महाविद्यालय, अहरोली काली, तहसील – अटेर, जिला – भिण्ड**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चम्बल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/योजना) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)